न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 95/2017 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1 आयचुकी बेवा मुकना जी 2 गीता बेवा पप्पु पुत्री मुकना जी, अकवाम बावरी वर्तमान निवासी बावरियों का बास, बींजातल तहसील रीया बडी जिला नागौर		भूमिधारी तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांटगण की ओर से एडवोकेट श्री शरीफ काजी
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 23.10.2017

अपीलांटगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जैतारण के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 95 दिनांक 26.05.1999 के विरुद्ध पेश की हैं। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्टगण ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम रूपनगर पटवार हल्का रास के खसरा नम्बर 365 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 369 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा जुमले रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा बदना की खातेदारी की भूमि स्थित रही है। बदना की मृत्यु के पूर्व उसके पुत्र मुकना का देहान्त हो जाने के कारण बदना का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 83 दिनांक 16.09.1998 को उनकी पत्नि जडाव के नाम दर्ज किया गया। जडाव की मृत्यु के पश्चात तहसीलदार जैतारण द्वारा म्यूटेशन संख्या 95 के जरिये सिवाय चक दर्ज किया गया। जबकि जडाव की मृत्यु के वक्त उसकी पुत्रवधु आयचुकी पत्नि मुकना एवं उसकी पौत्री गीता पुत्री मुकना जीवित वारिस थे। लेकिन तहसीलदार द्वारा जैर अपील म्यूटेशन दर्ज करने से पूर्व न तो अपीलाण्टगण को सूना गया न ही जवाब प्राप्त किए गए तथा बिना वैद्य वारिसों की जांच किए भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दिया जो प्राथमिक रूप से ही शुन्य एवं विधि विरूद्ध है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत पुत्रवधु एवं पौत्री जीवित उत्तराधिकारी होने के कारण सम्पति में हक प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तहसील कार्यालय में जैर अपील आराजी को सिवाय चक दर्ज करने का आदेश उपलब्ध नहीं है न ही सिवाय चक दर्ज करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी की गई तथा इस संबंध में नियमों की पालना नहीं कर तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील म्युटेशन स्वीकृत किया है। जो की काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट आयचुकी अपने पति की मृत्यु के पश्चात से ही अपनी पुत्री गीता के पास ग्राम बींजातल, तहसील रिया बडी जिला नागौर में रहती है। इस कारण अपीलाण्ट संख्या 2 दिनांक 06.06.16 को अपने गांव आई व अपनी कृषि भूमि की देख-भाल करने व आर्थिक तंगी के कारण बेचाण के वास्ते पटवारी हल्का से जमाबन्दी हेतु गई तो पता चला की उसके पिता व दादी के नाम कोई कृषि भूमि नहीं होना बताया। पटवारी हल्का द्वारा 17 वर्ष पूर्व सिवाय चक दर्ज होना बताया। तब सिवाय चक भूमि की नकलों हेतु आवेदन किया तो नकलें नहीं दी गई। तत्पश्चात म्यूटेशन संख्या 95 की नकले हेतु दिनांक 21.06.2016 को आवेदन कर नकले प्राप्त कर अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे जानकारी के अन्दर म्याद माना जावे। जहां नामान्तरकरण प्रारम्भ से शुन्य है एवं अपीलाण्ट के हक अधिकारों से संबंधित होने से

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....2

उसके गुणावगुण से विवचन किया जाना न्यायहित में होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार कर जैर अपील नामान्तरण खारिज फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम रूपनगर पटवारी हल्का रास में जैर अपील नामान्तरकरण में खसरा नम्बर 365 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 368 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा जुमले रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा भूमि म्यूटेशन संख्या 95 में सिवाय चक दर्ज है। जिसमें अपीलाण्टगण द्वारा जडाव बेवा बदना की मृत्यु पश्चात उनके नाम म्यूटेशन दर्ज करने बाबत न तो कोई प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र दिया न ही किसी प्रकार की कोई आपति दर्ज करवाई गई। न ही विधिक वारिसान होने का कोई साक्ष्य सबूत पेश किया गया। जडाव बेवा बदना की मृत्यु के समय उसका कोई वारिस गांव एवं उसके निवास पर नहीं था जिनके बारे में विधिवत जांच करने के पश्चात ही जैर अपील म्यूटेशन सिवाय चक दर्ज किया गया है। जो कि सही एवं विधि अनुरूप दर्ज किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अपीलाधीन नामांतरकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट के हक अधिकारों का सवाल होने से अपील को अंदर म्याद माना जाकर गुणावगुण का अवलोकन किया जाना न्यायोचित होगा। इसलिए अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्टगण के अनुसार अपीलाण्टगण मृतक जडाव बेवा बदना के अपीलाण्ट संख्या 1 पुत्रवधु एवं 2 पौत्री है। जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विधिक वारिसान है। यह सही है कि अपीलाण्टगण के द्वारा जडाव की मृत्यु के पश्चात फौतेदगी नामन्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन नहीं किया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील म्यूटेशन दर्ज किये जाने से पूर्व विधिक वारिसन की जांच की जाने चाहिए थी तथा जैर अपील आराजी को सिवाय चक दर्ज करने हेतु नियमानुसार लावल्द सम्पति घोषित करने की विधिक कार्यवाही के पश्चात ही सिवाय चक दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक जडाव के फौत होने पर अपीलाधीन फौतेदगी नामांतरकण स्वीकृत करने से पूर्व उनके वारिसानो के नाम की जांच नही की एवं न ही नामांतकरण पारित करने से पूर्व उन्हें सुना गया इस बाबत सरकारी पैरोकार द्वारा समूचित जांच व सुनवाई बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए गए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन नामांतरकरण यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जैतारण के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 26.05.1999 को खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, जैतारण को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि वे जैर अपील नामांतरकरण के संबंध में मृतक खातेदार जडाव के विधिक वारिसानो की जाचं करें एवं बाद जांच व सुनवाई के विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए नए सिरे से नामान्तकरण पारित करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त नामांतकरण तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली